A4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 89/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/215

प्रार्थी:–

मदनलाल पुत्र कानाराम जाति सीरवी निवासी ग्राम प्रतापगढ तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मोतीराम पुत्र दल्लाराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम प्रतापगढ तहसील रानी जिला पाली
2. सरपंच, ग्राम पंचायत निम्बाडा तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम परमार।

–: निर्णय :–

दिनांक : 18.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा मिसल संख्या 13/2010–2011 संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.05.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 को जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है जिस पर पट्टा धारक का कोई पुश्तैनी कब्जा अथवा मकान मौके पर नहीं है। जैर निगरानी भूखण्ड के पूर्व दिशा में प्रार्थी व उसके भाई का रहवासी मकान है जिसका प्रार्थी के पिता के नाम पट्टा जारी हो रखा है, जिसमें पश्चिम दिशा में दरवाजा एवं पडत भूमि अंकित है परन्तु अप्रार्थी ने कूटचरित तरीके से उक्त पट्टे के पश्चिम दिशा में जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है। जैर निगरानी पट्टे के उत्तर, दक्षिण व पूर्व दिशा में पट्टा शुदा मकान आये हुए है। अप्रार्थी द्वारा जैर भूखण्ड पर निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृती चाही गई थी परन्तु मौके पर रास्ता होने के कारण निर्माण स्वीकृति जारी नहीं गई। अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी होने के एक माह बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा इसके संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही भैरूलाल पुत्र नारायणलाल तैली के नाम से की गयी, अप्रार्थी का तो केवल मात्र अंतिम में नाम अंकित है। अप्रार्थी के सम्बन्ध में न तो कोई प्रस्ताव लिया गया और न ही अप्रार्थी द्वारा कोई आवेदन किया गया फिर भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 01 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि में जारी न होकर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में जारी किया गया है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत जारी किया गया है जिसमें मिसल की आवश्यकता नहीं होती है। जैर निगरानी भूखण्ड अप्रार्थी का पुस्तैनी कब्जा सुदा है। ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा आवेदन हेतु अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार फीस दी गई थी जिसकी रसीद भी अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी गयी। जैर निगरानी पट्टे के संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया पंचायती राज नियमों के तहत की गयी है, जिससे जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार होने से सही एवं सत्य है। अतः जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा मिसल संख्या 13/2010–2011 संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.05.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 को राजस्थान पंचायती नियम 158 के तहत रियायती दर पर जारी किया गया है, जिसमें अंकित पडौस अनुसार पूर्व दिशा में चमनाराम, मदनलाल पुत्र कानाराम सिरवी दर्ज है। पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक अन्य पट्टा जो प्रार्थी के पिता कानाराम के पक्ष में दिनांक 05.09.1986 को जारी किया गया है, में अंकित चतुर्दशी अनुसार पूर्व दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम दिशा में दरवाजा व पडत भूमि, उत्तर दिशा में दीपाराम, मना का नोहर तथा दक्षिण दिशा में गंगाराम पुत्र रूपाजी का नोहर है। यदि वर्ष 1986 में जारी उक्त पट्टे की पश्चिम दिशा में दरवाजा व पडत भूमि अंकित है, तो उक्त पट्टे की पश्चिम दिशा में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी हो सकता है ? साथ ही इसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी अन्य पट्टो के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो नियमानुसार सही नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने दस रूपये के शपथ पत्र जिसके क्रमांक 46AA 416697 है, पर दिनांक 02.06.2011 को जैर निगरानी पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया तथा उसी दिनांक को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। यदि अप्रार्थी जैर निगरानी पट्टे हेतु आवेदन ही दिनांक 02.06.2011 को करता है तो आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हुई बैठक कार्यवाही दिनांक 20.05.2011 में अप्रार्थी का नाम कैसे अंकित हो सकता है ? यह भी विचारणीय बिन्दु है। साथ ही बैठक कार्यवाही दिनांक 20.05.2011 के प्रस्ताव संख्या 6 में रियायती दर पर पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही भैरूलाल पुत्र नारायणलाल तैली निवासी प्रतापगढ के नाम से की गयी है, जिसके अन्त में जिस तरह से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित किया हुआ है उससे यह सुस्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में, (300 वर्गगज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यथावर

अति. जिला कलक्टर, पाली

जनजातियों, गाडिया लुहारों को, जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढग्रस्तों को भी, जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आंवटित कर सकेगी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है इसलिये इसमें मिसल की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह स्पष्ट हो सके अप्रार्थी संख्या 1 नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भी रियायती दर पर पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है, जिससे भी यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा मिसल संख्या 13/2010–2011 संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.05.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीराम पुत्र दल्लाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली